

न्यायालय:-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी-धन कुमार कुड़ोपा)

दांडिक प्रकरण क०-531 / 08

संस्थापित दि० 30 / 12 / 08

फाईलिंग नं.233504000132008

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)

-----अभियोजन

—: विरुद्ध :-

- 1—साबू पिता छोटे, उम्र 50 वर्ष,
 जाति गोंड, पेशा मजदूरी, ग्राम चुटकी,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म०प्र०)
- 2—रामप्रसाद पिता बाबू गोंड, ग्राम चुटकी (फौत)

-----अभियुक्तगण

—: निर्णय :-

(आज दिनांक 22 / 11 / 2016 को घोषित)

1— अभियुक्त के विरुद्ध भा०दं०वि० की धारा 294, 323, 506 भाग-2, 440 व 452 के तहत अभियोग है कि दिनांक 13 / 10 / 08 को 20:00 बजे रतेडा दुर्ग (चुटकी) में सार्वजनिक स्थल के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी फूलवंतीबाई को क्षोभ करित किया, फरियादी फूलवंती की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की, संत्राश कारित करने के आशय से फरियादी फूलवंतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया, फरियादी फूलवंतीबाई की मृत्यु पर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की, फरियादी फूलवंतीबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया।

2— अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ग्राम रतेडा खुर्द रहती है। उसका पति डब्ल्यू०सी०एल० में सारणी में काम करता है। उसके पति ने एक मोटर साईकिल खरीदी थी। उसके बाद उसका लडका गुलाब कर्नाटक में नौकरी करने चला गया तो उसकी मोटर साईकिल को चलाने के लिए रामप्रसाद जो उसका सौतेला लडका है, ने ले गया, रामप्रसाद की पत्नी शिवकली ने उससे कहा कि माँ मोटर साईकिल तुम रखती, तुम्हारा लडका रात दिन मोटर साईकिल लेकर घुमता है काम नहीं करता है तो उसने कहा सबेरे मोटर साईकिल लाकर घर में रख लिया, रात को करीब 9 बजे वह खाना खाकर उठी, तभी उसके घर में साबू घुसा और उसे मां बहन की नंगी-नंगी गालियाँ देकर उसे पकड़ लिया, वह चिल्लाने लगी तो साबू ने

उसे मारा और कहा चिल्लायेगी तो जान से मार डालेगा और रामप्रसाद से बोला कि कुल्हाड़ी ला तो इसने मोटर साईकिल लेती है मार कर फेंक देंगे। वह साबू से छूट कर भागी और बाड़ी में छुप गई, थोड़ी देर में वह कोटवार शंभू के घर गई और झगड़े की बात आई। साबू और रामप्रसाद ने उसके भागने के बाद कुल्हाड़ी से उसके घर का दरवाजा तोड़ दिया। रात होने से वह रिपोर्ट करने नहीं आ सकी, अभी गांव के कोटवार को लेकर थाने पर आई।

3— प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी0 1 है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अप0कं0-423/08 कायम कर अभियुक्तगण के विरुद्ध भा0दं0वि0 धारा-452, 294, 323, 506 भाग-2, 427 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान दिनांक 14.10.08 को नक्शा मौका तैयार किया गया। दिनांक 14/10/08 को नुकसानी पंचनामा प्र0पी0 3 तैयार किया गया। साक्षियों के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किए गए। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। विवेचना पूर्ण कर अनुसंधान उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

4— अभियुक्त के विरुद्ध धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त का अभियुक्त परीक्षण किया गया अपने परीक्षण में बताया कि वह निर्दोष है उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। बचाव में कोई बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

5— : न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— “क्या दिनांक 13/10/08 को 20:00 बजे रतेडा दुर्ग (चुटकी) में सार्वजनिक स्थल के समीप अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी फूलवतीबाई को क्षोभ करित किया?”

2— “क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी फूलवती की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की?”

3— “क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने संत्राश कारित करने के आशय से फरियादी फूलवतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?”

4— “क्या उक्त दिनांक समय व स्थान पर आपने फरियादी फूलवतीबाई की मृत्यु पर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की?”

5— “क्या उक्त दिनांक समय व सीन पर आपने फरियादी फूलवतीबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया?”

—: निष्कर्ष एवं उसके आधार :-

विचारणीय प्रश्न क0 2,4,5 का निराकरण

6— अभियोजन साक्षी फूलवन्तीबाई (अ0सा01) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना दिनांक को वह अपने घर पर खाना खा रही, तभी वहां पर आरोपीगण आए और घर के सामने वाले दरवाजे को सबल और गैंची से तोड़ने लगे, जिससे दरवाजा

टूट गया दरवाजा टूटने से उसे लगभग बीस हजार रुपये का नुकसान हुआ। उसने आरोपीगण को कहा कि दरवाजा मत तोड़ो तो दोनों उसके साथ हाथ मुक्कों और लात से मारपीट किए और मारपीट करने से उसके शरीर के कई हिस्सों पर चोटें आईं। साबू ने हाथ मुक्के से मारा था। दोनों ने उसका गला दबा दिया था। आरोपीगण घटना के कुछ दिन पूर्व उसके घर में रखी मोटर सायकल जबरदस्ती लेकर चले गए थे, उसने आरोपी रामप्रसाद से अपनी मोटर सायकिल वापस मांगी थी तो उसने मोटर सायकल वापस नहीं की और मोटर सायकल की बात को लेकर ही आरोपी ने उसके घर में आकर लड़ाई-झगड़ा और तोड़-फोड़ किया था उसने घटना की शिकायत पुलिस थाना आमला में की थी जो प्र0पी0-1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका डॉक्टरी मुलाहिजा कराई थी। पुलिस ने उसके घर पर आकर मौका नक्शा प्र0पी0-2 तैयार किया। पुलिस ने दरवाजे को हुई नुकसानी के संबंध में लिखा-पढ़ी की थी। पुलिस ने उससे पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

7- इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्वीकार किया है कि दरवाजा तोड़ने वाली घटना एक माह पहले दोनों आरोपीगण ने घर से मोटर साईकिल ले गये थे। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जब मोटर साईकिल निकाल कर ले गए थे उस समय वह सारणी में थी। अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा उसके घर में मोटर साईकिल निकालते हुये नहीं देखा गया। क्योंकि इस घटना के एक माह पहले मोटर साईकिल निकालने वाली घटना हुई है और वह घटना के समय सारणी में थी। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि जानकारी लगने के 15 दिन बाद से वह गांव आई थी, आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि 15 दिन बाद घटना की शिकायत इसलिए नहीं की, क्योंकि वह समझाना चाहती थी कि गाड़ी प्रेम से लाकर घर में रख दो। अर्थात् मोटर साईकिल घर से निकाल कर ले जाने के संबंध में इस गवाह ने कोई शिकायत नहीं की।

8- आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 8 में स्वीकार किया है कि रामप्रसाद और साबूलाल ने उसकी मोटर साईकिल ले गई थी वापस कर देता तो उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं करती। आगे इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 10 में स्वीकार किया है कि मोटर साईकिल ले गया और घर का ताला तोड़ दिया, इसी बात की अभियुक्तगण से रंजिश थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उसने आरोपी साबू और रामप्रसाद द्वारा उसके घर से ताला तोड़कर मोटर साईकिल ले जाने की रिपोर्ट लेख करवाई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि उसने मोटर साईकिल ताला तोड़कर ले जाने के बयान दिये थे। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसे थाना वालों ने मोटर साईकिल दे दी है। आगे इस गवाह ने यह व्यक्त किया है कि मोटर साईकिल ताला तोड़कर ले जाने के अलावा अभियुक्तगण के खिलाफ अन्य कोई संबंध में रिपोर्ट नहीं की। इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा उसके घर से मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही वह रंजिश रखती थी और मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही अभियुक्तगण के खिलाफ उक्त संबंध में ही रिपोर्ट दर्ज कराई।

9- अभियोजन साक्षी डॉ0 एन0के0 रोहित (अ0सा05) ने अपनी साक्ष्य में

बताया है कि जिसे छाती में दर्द था पर कोई चोट नहीं पाई गई थी। उसकी मेडिकल रिपोर्ट प्र०पी०-5 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि आहत के शरीर के किसी भाग पर उसने चोट नहीं पाई थी। आगे यह भी स्वीकार किया है कि आहत ने उसे छाती में दर्द होना बताया था। छाती में दर्द शर्दी खांसी हो सकती है। इस प्रकार इस गवाह के मुख्य परीक्षा एवं प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की, फरियादी फूलवंतीबाई ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दोनों उसके साथ हाथ लात मुक्कों से मारपीट किए और मारपीट करने से उसके शरीर में कई हिस्सों पर चोट आई, दोनों ने उसका गला दबा दिया था। इस प्रकार फरियादी फूलवंतीबाई के द्वारा जो मुख्यपरीक्षा में बताए गए तथ्य हैं उन तथ्यों से डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा००५) की साक्ष्य से पुष्टि नहीं होती है। क्योंकि जिस हिसाब से फरियादी ने मारपीट करना बताया है यदि वास्तविक रूप से फरियादी फूलवंती को अभियुक्तगण के द्वारा मारपीट किया जाता तो उसके शरीर में चोट या रगड़ के निशान आवश्यक रूप से दिखाई देते।

10— अभियोजन साक्षी शम्भू (अ०सा००२) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि घटना के समय उसे आरोपी रामप्रसाद और साबू के गाली बकने की और दरवाजे पर जोर से मुदाल मारने की आवाज सुनाई दी तो वह एक दम से घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि फूलवंतीबाई के घर का दरवाजा टूट गया था और फूट गया था। वहां पर आरोपी रामप्रसाद और साबू खड़े थे। उसे फूलवंतीबाई ने बताया था कि दोनों उसके साथ घर में घुस कर हाथ मुक्कों से मारपीट किया था। वह अगले दिन सुबह फूलवंतीबाई को पुलिस थाना रिपोर्ट लिखाने गया था। बाद में पुलिस जाँच करने आई थी और बाद में पुलिस ने टूटे हुए दरवाजे का नुकसानी पंचनामा बनाया था नुकसानी पंचनामा प्र०पी०-3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। नुकसान 50-60 हजार रुपये तक का हुआ था। पुलिस ने उससे पूछताछ की थी। उक्त साक्ष्य को बचाव पक्ष की ओर से खंडन किया गया है।

11— इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 4 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह घटना वाले दिन वह उसके घर में था। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त घटना वाली बात उसको फूलवंतीबाई ने बताई थी। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह फूलवंतीबाई को बताने पर घटना स्थल पर गया था उस समय आरोपीगण वहां पर उपस्थित थे। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि जब वह वहां पर पहुँचा तो आरोपी रामप्रसाद और साबू उसके आंगन में खड़े थे। आगे इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि फूलवंतीबाई का दरवाजा किसने तोड़ा उसने नहीं देखा सिर्फ उसने गाली गलौच हो रही थी, यह सुना था और एक के हाथ में कुल्हाड़ी और एक के हाथ में बसुला था। इस आधार पर वह कह रहा है कि दरवाजा आरोपीगण ने ही तोड़ा होगा। आगे इस गवाह ने यह भी स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसके सामने अभियुक्त रामप्रसाद और साबू फूलवंतीबाई के घर में नहीं घुसे थे।

12— इस प्रकार इस गवाह के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से यही स्पष्ट होता है कि घटना के समय यह गवाह उसके घर के अंदर था उसने घटना होते नहीं देखा

और किसके द्वारा दरवाजा तोड़ा गया, यह नहीं देखा। इस गवाह के समक्ष फरियादी के घर के अंदर अभियुक्तगण नहीं घुसे। इस गवाह के समक्ष अभियुक्तगणों के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई। क्योंकि यह गवाह मुख्यपरीक्षा में उसके सामने घटना होना बताया है किन्तु प्रतिपरीक्षा में कहा है कि वह घटना के समय घर के अंदर था उसके सामने अभियुक्तगण ने कोई मारपीट नहीं की और कोई दरवाजा नहीं तोड़ा। स्वयं फरियादी ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 7 में स्वीकार किया है कि कोटवार से उसकी अच्छी बोलचाल हैं। आगे इस गवाह ने स्वीकार किया है कि उसके साथ कोटवार भी रिपोर्ट करने आमला आया था। अर्थात् फरियादी एवं ग्राम कोटवार हितबद्ध साक्षी है और फरियादी के कथनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि अभियुक्त के द्वारा मोटर साईकिल ले जाने के कारण ही उसने थाने में मोटर साईकिल ले जाने के संबंध में थाना में रिपोर्ट दर्ज की थी। ऐसी परिस्थिति में अभियोजन साक्षी सम्भू की साक्ष्य विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती है।

13— अभियोजन साक्षी अनंतराम (अ०सा०३) एवं अभियोजन साक्षी लल्लू (अ०सा०१) उक्त दोनों गवाह स्वतंत्र साक्षी है। उक्त दोनों गवाहों ने घटना घटित होने के तथ्यों का समर्थन नहीं किया है।

14— भा०द०वि० की धारा-440 यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या उसे उपहति या उसका सदोष अवरोध कारित करने की, अथवा मृत्यु का, या उपहति का, या सदोष अवरोध का भय कारित करने की तथा भा०द०वि० की धारा-452 यह उपबंधित करती है कि जो कोई किसी व्यक्ति की उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करने की अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयारी करके गृह-अतिचार करेगा। इस प्रकार उक्त दोनों अधिनियम अनुसार यह आवश्यक है कि फरियादी फुलवंतीबाई के साथ किसी व्यक्ति के द्वारा मृत्यु उपहति या सदोष अवरोध कारित करने या भय कारित करने के अंतर्गत दोषसिद्धि मानी गई है, किन्तु फरियादी फुलवंतीबाई (अ०सा०१), डॉ० एन०के० रोहित (अ०सा०५) एवं अभियोजन साक्षी शंभू (अ०सा०२) की साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि फरियादी फुलवंतीबाई को अभियुक्तगण के द्वारा मृत्यु कारित करने या उपहति या सदोष अवरोध करने अथवा भय कारित किया गया हो, इसी प्रकार भा०द०वि० की धारा 440 एवं 452 के तथ्य भी स्पष्ट नहीं होते हैं।

15— बचाव साक्षी घुसाजी कंगाली (ब०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि साबू के मकान से 10-15 फिट के अंतर में फरियादी फूलवंती का मकान लगा हुआ है। फूलवंती आरोपी की सगी भाभी है। रामप्रसाद फुलवंती का सौतेला लड़का हैं उसने मकान दूसरे तरफ बना लिया था। बसीराम और वह जैसे ही दुर्गाजी के मंच के वापस गये उसी समय उसके सामने रामप्रसाद आ गया था। वह पहुँचे वहाँ पर रामप्रसाद उपस्थित नहीं था। रामप्रसाद अचानक आया और फुलवंती के मकान का दरवाजा तोड़ दिया और मोटर सायकिल निकाल लिया। घटना के समय साबू स्वयं के घर में था। रामप्रसाद गाड़ी लेकर चला गया और फुलवंती रामप्रसाद को गाली देते रहीं उसके सामने साबू ने घटना के समय फुलवंती के साथ कोई गाली गलौच लड़ाई झगडा मकान में घुसने वाली घटना नहीं की। उक्त तथ्य स्वयं फरियादी फुलवंती

(अ०सा०१) एवं शंभू (अ०सा०२) के प्रतिपरीक्षा में आए तथ्यों से ही स्पष्ट है फरियादी ने स्वीकार किया है कि उसकी मोटर साईकिल ले जाने के कारण अभियुक्तगण से रंजिश रखती थी। इस कारण ही उसने थाना आमला में रिपोर्ट की है। अर्थात् अभियुक्तगण के द्वारा कोई घटना कारित नहीं की गई। बल्कि मोटर साईकिल उसके घर से ले गए थे जिसकी रिपोर्ट स्वयं फरियादी ने नहीं की।

16— उर्पयुक्त किए गए साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंती की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। और उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई की मृत्यु पर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की। और उर्पयुक्त साक्ष्य एवं विश्लेषण से यह भी स्पष्ट नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न कं. 2, 4, 5 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

विचारणीय प्रश्न कं 1 का निराकरण

17— अभियोजन साक्षी फूलवंतीबाई (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि अभियुक्तगण ने उसे माँ बहन की चोदू की गालियाँ भी दिये थे। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि गालियाँ अपने आप में शिष्टाचार के विपरीत प्रकट होती हैं, लेकिन जो भा.द.वि. की धारा-294 में अश्लील भाब्द की परिसंकल्पना की गयी है, उसकी कोटि में ये शब्दावली नहीं आती, क्योंकि अश्लील भाब्द की जो परिसंकल्पना की गयी है, उसका अभिप्राय ऐसे भाब्दों से है जो कि सुनने वाले व्यक्ति को दूषित अवनति की ओर ले जाता हो। उसके मन में दूषित विचारों यथा-कामुक, यौन मनोवेग आदि को उत्पन्न करता हो। विचारणीय भाब्द ऐसा कोई विचार उत्पन्न नहीं करते, बल्कि ये क्षणिक आवेग के फलस्वरूप बिना उस भाब्दिक भाव के प्रयुक्त होते हैं, जो कि इन भाब्दों से जुड़ा हुआ है। इससे आरोपी के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-294 का आरोप गठित नहीं होता। इस संबंध में न्यायालय द्वारा अपनाये जा रहे दृष्टिकोण को बल, माननीय म०प्र० उच्च न्यायालय द्वारा **न्यायदृष्टांत सोबरन बनाम म०प्र० राज्य 1967 जे.एल.जे. शार्टनोट 135 व विष्णु प्रसाद बनाम म०प्र० राज्य 1971 जे.एल.जे. शार्ट नोट 148** में अवधारित विधिक सिद्धांतों से प्राप्त होता है।

विचारणीय प्रश्न कं 3 का निराकरण

18— अभियोजन साक्षी फूलवंती (अ०सा०१) ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि दोनों ने जान से मारने की धमकी भी दिये थे। आरोपीगण द्वारा मौखिक स्वरूप की धमकी दी गयी है, धमकी के अग्रसरण में कोई ओवरएक्शन नहीं किया गया, इससे आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा-506 [बी] का आरोप गठित नहीं होता, क्योंकि मात्र मौखिक धमकी से कोई ऐसा भय अभियोगी फूलवंतीबाई [अ.सा.1] के मन

में उत्पन्न हुआ हो कि दी गयी धमकी को क्रियान्वित किया जा सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि धमकी के अनुसरण में कोई कार्य नहीं किया गया। इससे आरोपीगण के विरुद्ध भा०द०वि० की धारा- 506 {बी} का आरोप प्रमाणित नहीं होता। इस संबंध में **न्यायदृष्टांत रेशनलाल विरुद्ध एम.पी. स्टेट 1968 एम.पी.एल.जे. पेज नंबर-172** अवलंबनीय हैं। इस प्रकार विचारणीय प्रश्न क्रं. 1, 3 का निराकरण "अप्रमाणित" रूप से किया जाता है।

19— उपर्युक्त अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने अश्लील शब्दों का उच्चारण कर फरियादी फूलवंतीबाई को क्षोभ करित किया। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई की मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने आपने संत्राश कारित करने के आशय से फरियादी फूलवंतीबाई को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई की मृत्यु पर उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् दरवाजा तोड़कर रिष्टि कारित की। प्रस्तुत साक्ष्य से युक्ति-युक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं है कि अभियुक्त साबू ने फरियादी फूलवंतीबाई को उपहति कारित करने की तैयारी के पश्चात् उसके आवासीय मकान में प्रवेश कर गृह-अतिचार कारित किया। इस प्रकार भाद०वि० की धारा 294, 323, 506 भाग-2, 440 व 452 का आरोप प्रमाणित न पाये जाने से उक्त अपराध में अभियुक्त साबू को दोषमुक्त किया जाता है।

20— प्रकरण में आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए गए। आरोपी का धारा 428 द०प्र०सं० का प्रमाण तैयार किया जावे।

21— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति कुछ नहीं।

निर्णय खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित एवं

मेरे बोलने पर टंकित

दिनांकित कर घोषित किया गया।

(धनकुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०

(धनकुमार कुड़ोपा)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, जिला बैतूल म०प्र०